प्रेस नोट

थाना छपरौली **दिनाँक 14.07.2022**

थाना छपरौली पुलिस की दिनाँक 13.07.2022 को देर रात्रि पेट्रोल पम्प के सैल्समैन से रुपये लूट कर भाग रहे बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, उसमें से एक अभियुक्त ललित निवासी नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ था। जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा था। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त के कब्जे से लूटे हुए 25 हजार रूपये नगद व एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 03 जिंदा व 04 खोखा कारतूस, एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त जनपद गाजियाबाद से लूटी हुई एक मो0सा0 बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लूटेरें/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनाँक 13-07-2022 को थाना छपरौली पुलिस को सूचना मिली की ग्राम कुर्डी में मो0सा0 सवार 03 अज्ञात बदमाशों द्वारा तमंचा दिखाकर सैल्समैन से रुपयों का थैला लूटकर कर फायरिंग करते हुए टाण्डा की ओर भाग गए है, चौकी टाण्ड़ा प्रभारी को सूचना दी कि उक्त लूटेरों की गिरफ्तारी हेतु चैकिंग करें। कुछ समय बाद अभियुक्तों को चैकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त तीनो बदमाश पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए मो0सा0 छोडकर गन्ने के खेत में घुस गए। कन्ट्रोल रुम के माध्यम से फोर्स ईकट्ठा की गई, एल0ओ0 स्कीम लगाई गई। सभी फोर्स मौके पर पंहुची। कोम्बिंग की गई तथा लाउडस्पीकर से एलाउंस किया गया इसी बीच एक बदमाश पुलिस पार्टी पर फायरिंग करता हुआ भागा जिससे एक आरक्षी राहुल कुमार गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस पार्टी द्वारा अपने आत्मरक्षार्थ बचाव में फायरिंग की गई जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया। घायल अभियुक्त की पहचान ललित पुत्र अशोक कुमार निवासी नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद के रुप में हुई। अभियुक्त ने बताया कि उसके 02 साथी सचिन उर्फ डाकू पुत्र शिवकुमार निवासी कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत व अजय पाटा निवासी ग्राम काबडौत थाना कोतवाली शामली जनपद शामली गन्ने के खेत में छिपे है। घायल बदमाश को तत्काल सीएचसी छपरौली पर लाया गया, जहां से अभियुक्त को

उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया । जहां पर अभियुक्त उपचाराधीन था, उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । अभियुक्त के कब्जे से लूटे हुए 25 हजार रूपये नगद व एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 03 जिंदा व 04 खोखा कारतूस, एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त जनपद गाजियाबाद से लूटी हुई एक मो0सा0 बरामद हुई है ।

मुठभेड़ के दौरान बरामद मो0सा0 की गहनता से जांच की गई तो पता उपरोक्त मो0सा0 हीरो एचएफ डीलेक्स नम्बर- यूपी-14ईएल-7178 को इसी गैंग ने दिनांक 13-07-2022 को जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र कविनगर से एक व्यक्ति से लूटी थी तथा साथ ही एक मोबाइल फोन, 2500/रूपये लूटे थे । जिसके सम्बन्ध में थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 902/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त मो0सा जनपद गाजियाबाद से लूटी हुई मो0सा0 है। संबंधित जनपद को अवगत करा दिया गया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम व पता-

1- ललित पुत्र अशोक कुमार निवासी नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी की विवरण-

- लूटे हुए 25 हजार रूपये नगद ।
- एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 03 जिंदा व 04 खोखा कारतूस ।
- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस ।
- घटना में प्रयुक्त जनपद गाजियाबाद से लूटी हुई एक मो0सा0 हीरो एचएफ डीलेक्स नम्बर- यूपी-14ईएल-7178

अभियुक्त ललित का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0स0 902/22 धारा 392 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद ।
2-मु0अ0स0 209/22 धारा 392/411 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
3-मु0अ0स0 210/22 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना छपरौली जनपद बागपत ।
4-मु0अ0स0 211/22 धारा3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।

अभियुक्त ललित के आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है ।

अभियुक्त सचिन उर्फ डाकू का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 220/21 धारा 392/411 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-**मु0अ0स0 222/21 धारा 411/414/417 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।**

3-मु0अ0स0 223/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।

4-मु0अ0स0 60/22 धारा 392 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।

5-मु0अ0स0 91/22 धारा 392/411 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।

6-मु0अ0स0 92/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।

7-मु0अ0स0 209/22 धारा 392/411 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।

8-मु0अ0स0 210/22 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना छपरौली जनपद बागपत।

अभियुक्त अजय उर्फ पाटा का आपराधिक इतिहास-

2-मु0अ0स0 209/22 धारा 392/411 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।

3-मु0अ0स0 210/22 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना प्रभारी श्री देवेश कुमार थाना छपरौली।

2-व0उ0नि0 श्री धर्मवीर सिंह थाना छपरौली।

2-उ0नि0 श्री राजकुमार।

3-उ0नि0 श्री राजीव।

4-का0 557 राहुल कुमार।

5-का0 550 अनिल कुमार।

6-का0 369 विशाल ।

7-का0 434 मनित कुमार।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 14-07-2022**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 713/22 धारा 323/354/504/379 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 713/22 धारा 323/354/504/379 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.नीरज चौधरी पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम ढोलपुर थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री सोमपाल सिह।

2-का0- 479 कुलदीप कुमार

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत **दिनाँक 14.07.2022**

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 628/22 धारा 504/307/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.07.2022 को थाना कोतवाली बडौत पर वादी श्री उदयवीर पुत्र बारू निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1- हरिओम पुत्र ओमवीर व 2- विशाल उर्फ छोटू पुत्र ओमवीर निवासीगण ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी के पुत्र आकाश के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की नियत से सिर मे ईंट मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बडौत पर मु0अ0सं0 628/22 धारा 504/307/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 628/22 धारा 504/307/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः

1-हरिओम पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम जौनमाना थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत।

2-विशाल उर्फ छोटू पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम जौनमाना थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- श्री अशोक कुमार थाना बडौत, बागपत

2- हे0का0 348 ज्ञानेन्द्रपाल सिहं
3- का0 257 बलजीत सिहं
4- का0 262 कवित कुमार

प्रेस नोट

थाना बिनौली	दिनाँक 14-07-2022

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 166/22 धारा 363/328/354/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बिनौली पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 166/22 धारा 363/328/354/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- अजय पुत्र बलवीर निवासी मौहल्ला तालाबगढी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री दिग्विजय सिंह थाना बिनौली

2- का0 966 नरेश कुमार थाना बिनौली

3- हो0गा0 499 रविन्द्र कुमार थाना बिनौली

प्रेस नोट

थाना रमाला **दिनाँक 14-07-2022**

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 199/2022 धारा 325/352/354/376/511/504 भादवि में वांछित एक बाल अपचारी के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के **मु0अ0सं0 199/2022 धारा 325/352/354/376/511/504** भादवि में वांछित एक बाल अपचारी के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह।

2-है0का0 306 राजीव कुमार।